

**कार्यालय: प्रधानाचार्य (नोडल), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
जहांगीराबाद रोड, बाराबंकी।**

पत्रांक: 385 /शिशिक्षु/नैप्स पंजीकरण/2026-27,

दिनांक 20/08/2026

कार्यालय आदेश

निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: आई/726409/2026 टी0-5/2270/पी0एम0 आई0यो0/2024/76 लखनऊ, दिनांक 10.08.2026 एवं पत्र संख्या: आई/72042/2026 टी0-5/2270/पी0एम0 आई0यो0/2024/76 लखनऊ, दिनांक 19.08.2026 के द्वारा "Apprenticeship for All" का विशेष अभियान संचालित करते हुए प्रदेश के समस्त आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का NAPS पोर्टल पर पंजीकरण एवं शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। (प्रति संलग्न)

तत्क्रम में समस्त व्यवसाय अनुदेशकों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त पत्र में दिए गए निम्नलिखित बिन्दुओं का अक्षरसः अनुपालन करना सुनिश्चित करें :-

- 1- वर्तमान प्रशिक्षण सत्र में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का भारत सरकार के NAPS (National Apprenticeship Promotion Scheme) Portal अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाय।
- 2- आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी NAPS Portal पर पंजीकरण से वंचित न रहें, साथ ही पंजीकरण के उपरान्त प्रशिक्षार्थियों की प्रोफाइल पूर्ण करते हुए उन्हें उपलब्ध शिक्षुता रिक्तियों (Apprenticeship Vacancies) के लिए आवेदन कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।
- 3- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गठित अप्रेंटिसशिप टीम के द्वारा समस्त व्यवसाय अनुदेशकों से समन्वय स्थापित करते हुए "Apprenticeship for All" अभियान के बारे में नियमित समीक्षा की जाय।
- 4- अप्रेंटिसशिप टीम के द्वारा जनपद के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं NAPS पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों से समन्वय स्थापित कर, अधिकाधिक शिक्षुता रिक्तियां सृजित कराते हुए, पंजीकृत अभ्यर्थियों का शीघ्र नियोजन सुनिश्चित कराया जा सके।
- 5- जनपद के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गठित अप्रेंटिसशिप टीम समय-समय पर उपरोक्त पत्र में निहित प्रारूपों एवं निम्नलिखित प्रारूप पर सूचनाएं तैयार कर दिनांक 29.08.2026 तक, नोडल संस्थान के अप्रेंटिसशिप पटल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	व्यवसाय	वर्तमान सत्र में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या	NAPS पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	शिक्षुता हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित (Engaged) अभ्यर्थियों की संख्या	संस्थानवार प्रगति

अतः समस्त व्यवसाय अनुदेशक उक्त अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि वर्तमान सत्र में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक पात्र प्रशिक्षार्थी NAPS पोर्टल पर पंजीकृत हों तथा अधिकाधिक अभ्यर्थियों का शिक्षुता प्रशिक्षण से नियोजन कराया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष कुमार सिंह)
प्रधानाचार्य

पत्रांक: /शिशिक्षु/नैप्स पंजीकरण/2026-27, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक महोदय, प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बाराबंकी।
- 4- संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु), अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 5- प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाराबंकी।
- 6- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बाराबंकी।
- 7- अप्रेंटिसशिप पटल समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाराबंकी।
- 8- कार्यदेशक संस्थागत/कार्यदेशक समस्त राजकीय संस्थान, बाराबंकी।

प्रधानाचार्य

**कार्यालय: प्रधानाचार्य (नोडल), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
जहांगीराबाद रोड, बाराबंकी।**

पत्रांक:

/शिशु/नैप्स पंजीकरण/2026-27,

दिनांक 20/08/2026

कार्यालय आदेश

निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: आई/726409/2026 टी0-5/2270/पी0एम0 आई0यो0/2024/76 लखनऊ, दिनांक 10.08.2026 एवं पत्र संख्या: आई/72042/2026 टी0-5/2270/पी0एम0 आई0यो0/2024/76 लखनऊ, दिनांक 19.08.2026 के द्वारा "Apprenticeship for All" का विशेष अभियान संचालित करते हुए प्रदेश के समस्त आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का NAPS पोर्टल पर पंजीकरण एवं शिक्षता प्रशिक्षण हेतु योजित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। (प्रति संलग्न)

तत्क्रम में समस्त व्यवसाय अनुदेशकों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त पत्र में दिए गए निम्नलिखित बिन्दुओं का अक्षरसः अनुपालन करना सुनिश्चित करें :-

- 1- वर्तमान प्रशिक्षण सत्र में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का भारत सरकार के NAPS (National Apprenticeship Promotion Scheme) Portal अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाय।
- 2- आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी NAPS Portal पर पंजीकरण से वंचित न रहें, साथ ही पंजीकरण के उपरान्त प्रशिक्षार्थियों की प्रोफाइल पूर्ण कराते हुए उन्हें उपलब्ध शिक्षता रिक्तियों (Apprenticeship Vacancies) के लिए आवेदन कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।
- 3- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गठित अप्रेंटिसशिप टीम के द्वारा समस्त व्यवसाय अनुदेशकों से समन्वय स्थापित करते हुए "Apprenticeship for All" अभियान के बारे में नियमित समीक्षा की जाय।
- 4- अप्रेंटिसशिप टीम के द्वारा जनपद के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं NAPS पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों से समन्वय स्थापित कर, अधिकाधिक शिक्षता रिक्तियां सृजित कराते हुए, पंजीकृत अभ्यर्थियों का शीघ्र नियोजन सुनिश्चित कराया जा सके।
- 5- जनपद के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गठित अप्रेंटिसशिप टीम समय-समय पर उपरोक्त पत्र में निहित प्रारूपों एवं निम्नलिखित प्रारूप पर सूचनाएं तैयार कर दिनांक 29.08.2026 तक, नोडल संस्थान के अप्रेंटिसशिप पटल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	व्यवसाय	वर्तमान सत्र में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या	NAPS पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	शिक्षता हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	शिक्षता प्रशिक्षण हेतु योजित (Engaged) अभ्यर्थियों की संख्या	संस्थानवार प्रगति

अतः समस्त व्यवसाय अनुदेशक उक्त अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि वर्तमान सत्र में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक पात्र प्रशिक्षार्थी NAPS पोर्टल पर पंजीकृत हों तथा अधिकाधिक अभ्यर्थियों का शिक्षता प्रशिक्षण से नियोजन कराया जा सके।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष कुमार सिंह)
प्रधानाचार्य

पत्रांक: 385 /शिशु/नैप्स पंजीकरण/2026-27, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक महोदय, प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बाराबंकी।
- 4- संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशु), अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 5- प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाराबंकी।
- 6- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बाराबंकी।
- 7- अप्रेंटिसशिप पटल समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाराबंकी।
- 8- कार्यदेशक संस्थागत/कार्यदेशक समस्त राजकीय संस्थान, बाराबंकी।


प्रधानाचार्य

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त नोडल प्रधानाचार्य(सहायक शिशिक्षु सलाहकार/उप शिशिक्षु सलाहकार),
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- I/726409/2026टी०-5 /2270/पी० एम० आई ० यो०/2024/76 लखनऊ
दिनांक:10-08-2026

विषय: "Apprenticeship for All" विशेष अभियान संचालित करते हुए प्रदेश के समस्त आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का NAPS पोर्टल पर पंजीकरण एवं शिक्ता प्रशिक्षण हेतु योजित किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि संलग्न शिक्ता प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शिक्ता प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में योजित कुल अभ्यर्थियों की तुलना में आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा विशेष रूप से **Designated Trades** के प्रशिक्षुओं की संख्या अत्यंत कम है। यह स्थिति चिंताजनक है, जबकि आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी शिक्ता प्रशिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्राथमिक श्रेणी के अभ्यर्थी हैं। शिक्ता प्रशिक्षण युवाओं को उद्योगों में कार्यस्थल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। यदि आईटीआई से उत्तीर्ण प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को शिक्ता प्रशिक्षण से जोड़ा जाए, तो प्रदेश में न केवल शिक्ता प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होने के साथ-साथ युवाओं में कौशल एवं रोजगार क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदीय नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में तत्काल प्रभाव से "Apprenticeship for All" विशेष अभियान संचालित करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें—

1. जनपद के समस्त राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (**Government एवं Private ITIs**) में वर्तमान प्रशिक्षण सत्र में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का भारत सरकार के **NAPS (National Apprenticeship Promotion Scheme) Portal** पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाए।
2. प्रत्येक संस्थान स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी NAPS पोर्टल पर पंजीकरण से वंचित न रहे।
3. पंजीकरण के उपरांत प्रशिक्षार्थियों की प्रोफाइल पूर्ण कराते हुए उन्हें उपलब्ध शिक्ता रिक्तियों (Apprenticeship Vacancies) के लिए आवेदन कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।
4. जनपद के समस्त राजकीय एवं निजी आईटीआई के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक आयोजित कर अभियान की कार्ययोजना तैयार की जाए तथा संस्थानवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।
5. जनपद के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं NAPS पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों से समन्वय स्थापित कर अधिकाधिक शिक्ता रिक्तियां सृजित कराई जाएं, जिससे पंजीकृत अभ्यर्थियों का शीघ्र नियोजन सुनिश्चित हो सके।
6. अभियान की नियमित समीक्षा जनपदीय स्तर पर की जाए तथा प्रति सप्ताह की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।
7. प्रत्येक राजकीय एवं निजी आईटीआई से निम्नलिखित सूचनाएं संकलित कर प्रशिक्षण निदेशालय को प्रेषित की जाए—
 - वर्तमान सत्र में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या।
 - NAPS पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या।
 - शिक्ता हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या।
 - शिक्ता प्रशिक्षण हेतु योजित (Engaged) अभ्यर्थियों की संख्या।
 - संस्थानवार एवं जनपदवार प्रगति विवरण।

उक्त अभियान का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी को शिक्ता प्रशिक्षण से जोड़ना है। अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्तमान सत्र में उत्तीर्ण होने वाला प्रत्येक पात्र प्रशिक्षार्थी NAPS पोर्टल पर पंजीकृत हो तथा अधिकाधिक

अभ्यर्थियों का शिक्षा प्रशिक्षण में नियोजन कराया जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि "Apprenticeship for All" अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करते हुए शत-प्रतिशत पात्र आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का NAPS पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं कृत कार्यवाही एवं संस्थानवार विस्तृत प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

Digitally signed by
ABHISHEK SINGH

Date: 10-08-2026

11:55:47 (अभिषेक सिंह)
निदेशक।

पत्रांक:- टी०-5 /2270/पी० एम० आई ० थो०/2024/76 लखनऊ, तद्विनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक(ए०टी०), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ।
3. अधिशाषी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, अलीगंज, लखनऊ।
4. अनुसचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. समस्त मंडलीय संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्षु), को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने मंडल के समस्त संस्थानों से रिपोर्ट संकलित कर प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त प्रबंधक/प्रधानाचार्य, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वारा सम्बंधित मंडलीय संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्षु))।

(अभिषेक सिंह)
निदेशक।

मंडल स्तर पर संकलित रिपोर्ट

क्र०सं०	मंडल	जनपद	संस्थान का प्रकार	संस्थान का नाम	वर्तमान सत्र में ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या	NAPS पोर्टल पर अभ्यर्थियों की संख्या	Apprenticeship हेतु Engaged अभ्यर्थियों की संख्या	पंजीकरण का प्रतिशत	Engagement का प्रतिशत
1			राजकीय						
2			निजी						
3			राजकीय						
4			निजी						

अभ्यर्थियों का विवरण

क्र०सं०	मंडल	जनपद	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर	संस्थान का नाम	संस्थान का प्रकार	व्यवसाय	NAPS पोर्टल पर पंजीकरण नंबर	शिक्षता प्रशिक्षण हेतु योजित किये जाने की स्थिति(हाँ/नहीं)
1						राजकीय			
2						निजी			
3						राजकीय			
4						निजी			

प्रमक,

निदेशक,

प्रशिक्षण निदेशालय,

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मंडलीय संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्षु),

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-1/742042/2026टी०-5 /2270/पी० एम० आई० यो०/2024/76 लखनऊ दिनांक: 19-08-2026

विषय: "Apprenticeship for All" विशेष अभियान के अंतर्गत संस्थानवार प्रगति सूचना निर्धारित प्रारूप में संकलित कर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या- 1/726409/2026, दिनांक-10 अगस्त 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके क्रम में अवगत कराना है कि "Apprenticeship for All" विशेष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्तमान प्रशिक्षण सत्र में उत्तीर्ण होने वाले पात्र अभ्यर्थियों का NAPS पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण कराते हुए उन्हें उपलब्ध शिक्षुता रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन एवं अधिकाधिक अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित (Engaged) किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने मंडल के अंतर्गत आने वाले समस्त राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से अभ्यर्थियों सम्बन्धी संलग्न निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त करते हुए मंडल स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर "Apprenticeship for All" अभियान के अंतर्गत पात्र ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के NAPS पंजीकरण, शिक्षुता हेतु आवेदन एवं शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित अभ्यर्थियों की संख्या सम्बन्धी सूचना निदेशालय को दिनांक 31 अगस्त 2026 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: निर्धारित प्रारूप।

भवदीय
Digitally signed by

ABHISHEK SINGH

Date: 19-08-2026

13:27:22 निदेशक

पत्रांक:- टी०-5 /2270/पी० एम० आई० यो०/2024/76 लखनऊ, तद्विनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक(ए०टी०), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अधिशाषी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, अलीगंज, लखनऊ।
3. अनुसचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
4. समस्त जनपदीय नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूचना निर्धारित प्रारूप पर संकलित करते हुए सम्बंधित मंडलीय संयुक्त निदेशक महोदय को दिनांक 25 अगस्त 2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त प्रबंधक/प्रधानाचार्य, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वारा सम्बंधित मंडलीय संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्षु))।

(अभिषेक सिंह)

निदेशक

मंडल स्तर पर संकलित रिपोर्ट

क्र०सं०	मंडल	जनपद	संस्थान का प्रकार	संस्थान का नाम	वर्तमान सत्र में ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या	NAPS पोर्टल पर अभ्यर्थियों की संख्या	Apprenticeship हेतु Engaged अभ्यर्थियों की संख्या	पंजीकरण का प्रतिशत	Engagement का प्रतिशत
1			राजकीय						
2			निजी						
3			राजकीय						
4			निजी						

अभ्यर्थियों का विवरण

क्र०सं०	मंडल	जनपद	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर	संस्थान का नाम	संस्थान का प्रकार	व्यवसाय	NAPS पोर्टल पर पंजीकरण नंबर	शिक्षता प्रशिक्षण हेतु योजित किये जाने की स्थिति (हाँ/नहीं)
1						राजकीय			
2						निजी			
3						राजकीय			
4						निजी			